उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 38/2018/459/92-2-2018-14जांच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 22 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी के कार्यकाल के दौरान कार्यालय परिसर में लगे पेडो को अनियमित ढंग से कटवाने की अनियमितता में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-68/2016/1938/92-2-16-14जांच/2016 दिनांक 21-10-2016 श्री एस0के0 सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता (स्टोर) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी (सम्प्रति से0नि0) के विरूद्व सिविल सर्विस रेगुलेशन (सी0एस0आर0) के अनुच्छेद-351 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-30/2017/19/92-2-17-14जांच/2016 दिनांक 28-02-2017 के द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर श्री दिनेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। पुनः सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-76/2017/770/92-2-17-14जांच/2016 दिनांक 18-05-2017 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद के स्थान पर विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-1164/वि0स0ग्रा0अ0वि0/कैम्प/2017 दिनांक 24-08-2017 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री एस0के0 सिंह पर अधिरोपित कुल 6 आरोपों में से आरोप संख्या-1, 4, 5 व 6 सिद्ध पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-1828/92-2-17-14जांच/2016 दिनांक 05-10-2017 द्वारा अपचारी अधिकारी से अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 09-11-2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। श्री सिंह पर सिद्ध पाये गये आरोप निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

आप द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी परिसर में लगे पेडो की नीलामी से संबंधित अभिलेख एवं नीलामी से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने से संबंधित अभिलेख प्रखण्डीय कार्यालय में उपलब्ध नही पाये गये। आप द्वारा तत्कालीन अवर अभियंता (स्टोर) को पेडो की नीलामी/कटाई से संबंधित किसी भी प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया गया। आप द्वारा पेडो के मूल्यांकन, नीलामी एवं कटाई की प्रक्रिया तत्कालीन अधिशासी अभियंता, श्री बी0के0 दूबे के संरक्षण में बिना अवर अभियंता (स्टोर) को सम्मिलित किये हुये गुपचुप तरीके से नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण किये बिना ही की गयी एवं प्राप्त धनराशि को प्रखण्डीय कार्यालय के माध्यम से राजकोष में जमा नही कराया गया, जिसके लिये आप उत्तरदायी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आरोप संख्या-4

उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-ए-2-1602/10-95-24(14)/95 दिनांक 01-06-1995 द्वारा निर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन के अंतर्गत अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को वृक्षों की सार्वजनिक नीलामी द्वारा काटने की स्वीकृति प्रदान करने का कोई नही है। आप द्वारा उक्त अधिकारों का अतिक्रमण करते हुये रू0 19,050/- की धनराशि के वृक्षों की नीलामी की गयी। उक्तानुसार वित्तीय अधिकारों के अतिक्रमण हेतु आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या-5

आप द्वारा नीलामी से प्राप्त धनराशि रू0 37,500/- दि0 27-01-2016 को चालान द्वारा कोषागार में जमा कराया गया। उक्त धनराशि प्रखण्डीय कार्यालय के माध्यम से न जमा कर, सीधे कोषागार में जमा की गयी। इसके अतिरिक्त आप द्वारा नीलामी से प्राप्त धनराशि शिकायती पत्र दिनांक 04-01-2016 के उपरांत लगभग 01 वर्ष 05 माह बाद जमा करायी गयी, जो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-152 में निहित व्यवस्था का उल्लंघन है एवं धनराशि को हडपने की मंशा को इंगित करता है, जिसके लिये आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या-6

आप द्वारा तत्कलीन अधिशासी अभियंता, श्री बी0के0 दूबे के साथ दुरभि संधि कर उनके निर्देशन में शासन द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का अतिक्रमण किया गया एवं नीलामी की कार्यवाही भी संदिग्ध पायी गयी तथा कूटरचना कर नीलामी संबंधी अभिलेख तैयार किये गये एवं पेडो की नीलामी से प्राप्त धनराशि के गबन का प्रयास किया गया, जिससे आपकी कदाशयता परिलक्षित होती है। उक्तानुसार उ0प्र0 सरकारी सेवकों की आचरण नियमावली के प्रसतर-3-क का अनुपालन न करने के लिये आप उत्तरदायी है।

3- अपचारी अधिकारी, श्री एस0के0 सिंह पर अधिरोपित आरोप पत्र, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर कतिपय अनियमिततायें स्थापित पाये जाने के उपरान्त भी प्रकरण में शासकीय क्षति परिलक्षित न होने एवं अपचारी अधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न होने के द्रष्टिगत श्री एस0के0 सिंह के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21-10-2016 द्वारा संस्थित अनुशासिनक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-38/2018/459/(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री एस0के0 सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता (स्टोर) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।